

# फट्ट अहकाम

(नियम 26)

उच्चालत उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट मुकाम रामगढ़ जिला-अलवर

बनाम हुक्म  
 किस्म मुकदमा नं. 1/19/12 सन्

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मयईनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	<p><u>1.8.18</u>                      बादी के वकील/वकुलाय उपस्थित/पीठासीन अधिकारी                      पेश किया                      नकल दिलाई गई। वास्ते <u>मुकदमा</u> पत्रावली                      दिनांक <u>26.10.18</u> को पेश हो।</p> <p><u>26.10.18</u>                      बादी के वकील/वकुलाय उपस्थित/पीठासीन अधिकारी                      पेश किया                      नकल दिलाई गई। वास्ते <u>मुकदमा</u> पत्रावलं.                      दिनांक <u>18.1.19</u> को पेश हो।</p> <p><u>18.1.19</u>                      बादी के वकील/वकुलाय उपस्थित/पीठासीन अधिकारी                      पेश किया                      नकल दिलाई गई। वास्ते <u>मुकदमा</u> पत्रावलं.                      दिनांक <u>29.3.19</u> को पेश हो।</p> <p><u>29.3.19</u>                      यथा पेश/बकीर उभय                      पक्षकारन व उभय पक्षकारन को                      पत्र-2 आदेश दिलाई गई।                      शाम को 5.45 बजे कोर्ट हुआ जहाँ                      मुकदमा आदेश हुक्मरी व उभय                      पक्षी में खारिज हो चुका है।                      उक्त खारिज किया जाना है।                      यथापक्षी निर्णय सुनार होकर                      आदेश उपर है।</p>	<p>उप खण्ड अधिकारी                      रामगढ़ (अलवर)</p>